न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 01 / 2022	23–03–2022	26–07–2023

1. मूर्ति मन्दिर श्री हनुमान जी महाराज पिनान वाले विराजमान रामबास
   जरिये :–तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. रतन देवी पत्नी मूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ (मृतक)
2. कल्याण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 2 ग्राम बडबरा तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
3. सुदेश कुमार पुत्र करन सिंह जाति गुर्जर निवासी झीतरेडी तहसील नगर जिला भरतपुर।
4. अशोक कुमार दत्तक पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
5. बंता शर्मा पत्नी दिनेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
6. भगवती देवी पुत्री राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी कामां तहसील कांमा जिला भरतपुर।
7. मनू कुमार शर्मा पुत्र घनश्याम दत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
8. रोशनलाल सैनी पुत्र धर्मसिंह जाति माली निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
9. दिनेश पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
10. नरेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
11. बबीतारानी पुत्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
12. रेखारानी पुत्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
13. रविन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
14. रादुलारी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
15. विजेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
16. सुरेश पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उपस्थितः–

5. श्री दीपक मीना – राजकीय अभिभाषक
6. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल – वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

तहसीलदार गोविन्दगढ़ ने यह रेफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक हाल जमाबंदी संवत 2072–75 (ऑनलाईन) वाके ग्राम रामबास के खाता संख्या 564 के आराजी खसरा नबंर 384/3/0.0252, 386/2/0.0379, 387/2/0.0252, 387/5/0.0505, 388/0.0126 किता 5/0.1514 में नरेन्द्र, रविन्द्र, बिजेन्द्र पि0 मूलचन्द हिस्सा 1/2, बबीता, रेखारानी पुत्रीयान मूलचन्द हिस्सा 1/3, रतनदेवी पत्नी मूलचन्द हिस्सा 1/6 जाति ब्राहमण निवासीयान गोविन्दगढ़ के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, खाता संख्या 23 के आराजी खसरा नं0 384/1/0.0379, 386/1/0.0885, 387/3/0.0505, 387/4/0.01264 किता 4/0.3033 में अशोक कुमार दत्तक पुत्र कैलाश चन्द हिस्सा 1/3 साकिन देह बंता शर्मा पत्नी दिनेश कुमार हिस्सा 1/3 साकिन गोविन्दगढ़, सुरेश पुत्र कन्हैया हिस्सा 1/3 साकिन देह जाति ब्राहमण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, खाता संख्या 459 के आराजी खसरा न0 384/4/0.0126, 386/3/0.0505, 387/1/0.0252, 387/6/0.0632 किता 4/0.1515 में भगवती देवी पुत्री राधेश्याम हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण साकिन कामां, मनूकुमार शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा हिस्सा 1/4 जाति ब्राहमण साकिन गोविन्दगढ़, रोशनलाल सैनी पुत्र धर्मसिंह हिस्सा 1/4 जाति माली साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, खाता संख्या 461 के आराजी खसरा न0 384/2/0.0126, 385/0.0632 किता 2/0.0758 में अशोक कुमार पुत्र मु0 कैलाशचन्द हिस्सा 1/4, दिनेश, सुरेश पिसरान कन्हैयालाल हि0 1/6, रामदुलारी पुत्री कन्हैयालाल हि0 1/12, नरेन्द्र, रविन्द्र, बिजेन्द्र पिसरान मूलचन्द हिस्सा 1/8, बबीतारानी, रेखारानी पुत्रीयान मूलचन्द हिस्सा 1/12, रतनदेवी पत्नी मूलचन्द हिस्सा 1/24, भगवती देवी पुत्री राधेश्याम हिस्सा 1/4 जाति ब्राहमण साकिन गोविन्दगढ़ के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

जरिये नामांतकरण संख्या 3315 दिनांक 01.03.2022 भगवतीदेवी पुत्र राधेश्याम द्वारा अपने 1/2 हिस्से का बेचान मनूकुमार शर्मा व रोशनलाल सैनी को किया गया था, जिसका अमल दरामद हाल राजस्व रिकार्ड में किया गया। मूल आराजी खसरा न0 384, 385, 386, 387, 388 किता 5 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा का विभाजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के द्वारा मुकदमा संख्या 1/84 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2002 के अनुसार नामांतकरण संख्या 1545 दिनांक 12.05.2003 को स्वीकार कर आराजी बट्टे नंबर अंकित किये गये, मुताबिक मिसल बंदोबस्त संख्या 2028 के खाता संख्या 159 में आराजी खसरा न0 384 रकबा 07 बिस्वा, 385 रकबा 05 बिस्वा, 386 रकबा 14 बिस्वा, 387 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 388 रकबा 01 बिस्वा किता 5 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा "राधेश्याम, मूलचन्द पुत्रान रामप्रसाद हिस्सा 1/2, छोटेलाल पुत्र गणेश हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण साकिन गोविन्दगढ़ दर्ज रिकॉर्ड है, साथ ही आराजी खसरा नंबर 384 रकबा 1/2 गैर मुमकिन बगीची व खसरा नंबर 385 रकबा 1 गैर मुमकिन मंदिर दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संम्वत 2028 हाल व साबिक खसरा नम्बरान निम्नानुसार है, हाल आराजी खसरा न0 384 रकबा 7 बिस्वा साबिक आराजी खसरा न0 430 रकबा 7 बिस्वा, हाल आराजी खसरा न0 385 रकबा 5 बिस्वा साबिक आराजी खसरा न0 431 रकबा 5 बिस्वा, हाल आराजी खसरा न0 386 रकबा 14 बिस्वा साबिक आराजी खसरा न0 415 मि0 रकबा 1 बिस्वा, 429 रकबा 13 बिस्वा, हाल आराजी खसरा न0 387 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा साबिक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आराजी खसरा न0 432 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, हाल आराजी खसरा न0 388 रकबा 1 बिस्वा साबिक आराजी खसरा न0 332 रकबा 1 बिस्वा, जमाबंदी संवत 2014-17 में साबिक आराजी खसरा नंबर 429 रकबा 13 बिस्वा, 430 रकबा 07 बिस्वा, 431 रकबा 05 बिस्वा, 432 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किता- 4 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा के कृषक के कॉलम में ''रामप्रसाद, छोटेलाल पिसरान गणेश ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ़ सगान भाग मुआफी देन जमीदारा बकाश्त रामप्रसाद मुआफिदार'' दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही भूमि के वर्गीकरण के कॉलम में खसरा नंबर 429 में बगीची, खसरा नंबर 431, 432 में गैर मुमकिन मंदिर दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी के विशेष विवरण में बिनावर पूजा श्री हनुमान जी महाराज मुआफ है'' अंकित है। जमाबंदी संवत 1998 में उक्त साबिक आराजीयात में कृषक के कॉलम में उपरोक्त इन्द्राजात बदस्तूर अंकित है तथा विशेष विवरण के कॉलम में नामान्तकरण संख्या 484 विरासत तथा ''बिनावर पूजा मंदिर हनुमान जी पीनच वाला माफ है'' अंकित है। जमाबंदी संवत 1990 व 1994 में उक्त साबिक आराजीयात में कृषक विवरण के कॉलम में ''सेदू पुत्र गणेश ब्राह्मण साकिन गोविन्दगढ़ माफीदेन जमीदारा'' तथा कैफियत के कॉलम में ''बिनावर पूजा मंदिर हनुमान जी पीनच वाला मुआफ अंकित है। जमाबंदी संवत 1977 साबिक आराजी खसरा नंबर 429, 432, 430, 431 तथा इनके क्रमशः साबिक आराजी खसरा नंबर 391, 394, 392, 393 में कृषक के कॉलम में सुखदेव वल्द बलदेव ब्राह्मण साकिन गोविन्दगढ़ मुआफी देन जमीनदार'' तथा कैफियत के कॉलम में '' बिनावर पूजा मंदिर हनुमान जी पिनच वाले मुआफ अंकित है, उक्त साबिक राजस्व रिकार्ड/जमाबदीयो के अभिलेखो से स्पष्ट है, कि जमाबंदियों में कृषक के रूप में दर्ज व्यक्तियों को उक्त आराजी पिनच वाले हनुमान जी मंदिर की माफी में दर्ज की गई थी, जिससे मंदिर के भोग खर्च व देखरेख की जा सके, परन्तु तत्समय मंदिर की देखरेख करने वालों ने मंदिर की जगह जमाबंदियों में अपना नाम दर्ज करा लिया है, जो कि नाबालिग मूर्ति के हितों के विपरीत है। आराजी मुतनाजा पर कभी भी अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त नहीं रहा है। आराजी मुतनाजा से अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से मंदिर हनुमान जी पिनच वाले के हकूक जायल हो रहे है। राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज हाने से मंदिर की आराजी का विक्रय किया जा रहा है। मंदिर मूर्ति नाबालिग है, इसलिए मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षा करना आवश्यक है, हनुमान जी पिनव वाले मंदिर एवं विवादित आराजी वाके ग्राम रामबास (लक्ष्मणगढ़) देवस्थान विभाग के अभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड है, तथा देवस्थान विभाग द्वारा वर्ष 2012 में भी उक्त मंदिर की आराजी पर निर्माण नहीं करने व बेचान नहीं करने का आग्रह किया गया है। साबिक राजस्व रिकॉर्ड में विशेष विवरण/कैफियत के कॉलम में बिनावर पूजा मंदिर हनुमान जी पिनच वाला प्रविष्टि अंकित है। आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व रिकार्ड में पूजा मंदिर हनुमान जी पिनच वाला के कब्जे काश्त की आराजी रही है। चूंकि मंदिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क (नाबालिग) होती है, ऐसी स्थिति में अव्यस्क के हितों की सुरक्षा हेतु उक्त रेफरेंस माननीय न्यायालय हाजा में वृतान्त के साथ पेश करने का अधिकार है। अप्रार्थीगणों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से मूर्ति मंदिर हनुमान जी पिनच वाला के हकूक जायल हो रहे हैं, जिससे मौजूदा रेफरेंस पेश करना लाजमी है, चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत अव्यस्क मानी गई है। अतः नियम विरुद्ध राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन काबिल दुरूस्ती है। इसलिए न्यायहित में अप्रार्थीगण को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावें। तथा रेफरेंस पेश कर निवेदन है, कि आराजी खसरा नंबर 384/1/0.0379, 384/2/0.0126, 384/3/0.0252, 384/4/0.0126, 386/1/0.0885, 386/2/0.0379, 386/3/0.0505, 387/1/0.0252, 387/2/0.0252, 387/3/0.0505, 387/4/0.1264, 387/5/0.0505, 387/6/0.0632, 385/0.0632, 388/0.0126 किता 15 रकबा 0.6820 है0 वाके ग्राम रामबास के हाल राजस्व रिकॉर्ड में से अप्रार्थीगणों का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर मूर्ति मंदिर पिनच

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वाले का नाम दर्ज किये जाने तथा अप्रार्थीगणों को आराजी मुतनाजा को मूर्ति मंदिर के उपभोग, उपयोग में रूकावट मदाखलत पैदा नहीं करने बाबत् पाबंद किया जाने तथा अन्य दादरसी जो मुनासिब हो मंजूर किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर जर्ये वकील अपना जवाब पेश कर अवगत कराया है, कि विवादित आराजीयात के बाबत तहसीलदार गोविन्दगढ के द्वारा अप्रार्थीगणो के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स संख्या 15/02/2021 बअनुवानी तहसीलदार गोविन्दगढ बनाम अशोक कुमार वगै0 दिनाक 27.02.2021 को पेश किया गया था, जिस पर उभयपक्षो के वकीलो की बहस समाअत करने के बाद बहस के बिन्दू, कानूनी नजीरो एवं राज्य सरकार के परिपत्रो पर गौर करने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर दिनाक 03.12.2021 को निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसके द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा अप्रार्थीगणो के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स संख्या 15/02/2021 बअनुवानी तहसीलदार गोविन्दगढ बनाम अशोक कुमार वगै0 सारहीन होने के कारण खारिज किया जा चुका है। उक्त रेफरेन्स प्रकरण में वर्णित आराजीयात एंव अप्रार्थीयान समान है, और प्रकरण की विषयवस्तु भी समान है। ऐसी स्थिति में यह यह रेफरेन्स पूर्व रेफरेन्स में निर्णय हो जाने के कारण धारा 11 सी.पी.सी सपठित धारा 151 जा0 दी0 के तहत कानूनन चलने योग्य नही है, और रेसजुडीकेट के सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण चलने योग्य नही है। लिहाजा तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा तहसीलदार गोविन्दगढ के माध्यम से पेश रेफरेन्स प्रकरण में अंकित बिन्दुओ को स्वीकार करते हुये निवेदन किया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा नंबर 384/1/0.0379, 384/2/0.0126, 384/3/0.0252, 384/4/0.0126, 386/1/0.0885, 386/2/0.0379, 386/3/0.0505, 387/1/0.0252, 387/2/0.0252, 387/3/0.0505, 387/4/0.1264, 387/5/0.0505, 387/6/0.0632, 385/0.0632, 388/0.0126 किता 15 रकबा 0.6820 है0 वाके ग्राम रामबास साबिक राजस्व रिकार्ड में पूजा मंदिर हनुमान जी पिनच वाला के कब्जे काश्त की आराजी रही है, चूंकि मंदिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क (नाबालिग) होती है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगणों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन काबिल दुरूस्ती है। रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार गोविन्दगढ एव अप्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा यह रेफरेन्स प्रकरण आराजी खसरा नंबर 384/1/0.0379, 384/2/0.0126, 384/3/0.0252, 384/4/0.0126, 386/1/0.0885, 386/2/0.0379, 386/3/0.0505, 387/1/0.0252, 387/2/0.0252, 387/3/0.0505, 387/4/0.1264, 387/5/0.0505, 387/6/0.0632, 385/0.0632, 388/0.0126 किता 15 रकबा 0.6820 है0 वाके ग्राम रामबास साबिक राजस्व रिकार्ड में पूजा मंदिर हनुमान जी पिनच वाला के कब्जे काश्त की आराजी होने के कारण पेश किया गया है। वकील अप्रार्थी का कथन है, कि विवादित आराजीयात के बाबत तहसीलदार गोविन्दगढ के द्वारा अप्रार्थीगणो के विरूद्व एक रेफरेन्स संख्या 15/02/2021 बअनुवानी तहसीलदार गोविन्दगढ बनाम अशोक कुमार वगै0 दिनाक 27.02.2021 को पेश किया गया था, जिस पर विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर दिनाक 03.12.2021 को निर्णय पारित किया जा चुका है, पारित निर्णयानुसार रेफरेन्स प्रकरण सारहीन होने के कारण खारिज किया किया गया था। वर्तमान में पेश रेफरेन्स प्रकरण में वर्णित आराजीयात एंव अप्रार्थीयान समान है, और प्रकरण की विषयवस्तु भी समान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिय 1955 के प्रभाव में आने के वक्त अभिलेख में मूर्ति मन्दिर के नाम विभिन्न रूपो में अभिलिखित भूमियो में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

काबिज काश्तकार के खातेदारी अधिकार अर्जित होने अथवा नही होने बावत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न परिपत्र दिनाक 13.12.2001, 06.03.2007, 24.05.2007 जारी किये गये है, मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारो के संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनाक 24.05.2007 में **जागीर भूमियो में खातेदारी अधिकार –** जागीर भूमि के प्रव्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ में राजस्व अभिलेखो में एक खातेदार, पटटेदार, खादिमदार के रूप में या अन्य किसी रूप मे जिसमें यह अन्तरहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में अनुवांशिक पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज किया गया है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐंसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। तथा जागीर के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पटटेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज है, उनमें उन काश्तकारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एंव हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त होगे, ऐसी भूमियो को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत नही है, राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्ति का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। उक्त परिपत्र की पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनाक 06.01.2010 के द्वारा राजस्व न्यायालयो में लम्बित प्रकरणो का निस्तारण तदानुसार कराये जाने के आदेश दिये गये है। सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार गोविन्दगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)